<u>निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 से दावा करने की कार्यविधि</u>

नियमों के तहत प्रावधान:

समय-समय पर यथा संशोधित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 7 के अंश:

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसके शेयर, अदावी लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व ऋणपत्र, प्रतिदाय के लिए देय आवेदन राशि, या उस पर ब्याज, भिन्नात्मक शेयरों की बिक्री आय, वरीयता शेयरों की प्रतिदान आय आदि को निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है, अथवा जैसा भी मामला हो, (क) धारा 125 की उप-धारा (3) या धारा 125 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अंतर्गत, प्राधिकरण को www.iepf.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध प्रपत्र आईईपीएफ-5 में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर केंद्र सरकार के परामर्श से निर्दिष्ट शुल्क के साथ आवेदन जमा करके प्रतिदाय के लिए, शेयरों का दावा कर सकता है, धारा 124 की उप-धारा (6) के खंड के अंतर्गत।

(2) जमा करने पर, <u>प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5</u>, दावे के सत्यापन के लिए कंपनी के नोडल अधिकारी को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा।

(3) दावेदार <u>प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5</u> में आवेदन करने के बाद, मूल भौतिक शेयर प्रमाण पत्र, मूल बंध-पत्र, जमा प्रमाण-पत्र, ऋण-पत्र प्रमाण-पत्र, जैसा भी मामला हो, क्षतिपूर्ति बंध-पत्र, अग्रिम रसीदों, <u>प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5</u> में वर्णित के अनुसार किसी अन्य दस्तावेज सहित दावे के सत्यापन के लिए संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को उसके पंजीकृत कार्यालय में विधिवत हस्ताक्षरित करके भेजेगा।

(4) कंपनी, दावे की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के अंदर, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में <u>प्रपत्र सं. आईईपीएफ-5</u> में दावेदार द्वारा और प्रस्तुत किए गए सभी मूल दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति को उसके नोडल अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित ई-सत्यापन रिपोर्ट के साथ मूल भौतिक शेयर प्रमाण पत्र या मूल बंध-पत्र या जमा या ऋण-पत्र प्रमाण-पत्र के दोनों ओर की स्कैन की गई, विधिवत रद्द और प्रमाणित प्रति के साथ संलग्न करेगा:

इसके अलावा, बशर्ते कि कंपनी दावेदार द्वारा जमा किए गए मूल दस्तावेजों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगी और जब भी आवश्यक हो, ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगी:

बशर्ते यह भी कि <u>प्रपत्र सं. आईईपीएफ-5</u> दाखिल करने की तिथि से साठ दिनों की समाप्ति के बाद प्राधिकरण द्वारा दस्तावेजों के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में प्राधिकरण <u>प्रपत्र सं.आईईपीएफ-5,</u> दावेदार और कंपनी के ई-मेल पते पर दावेदार और संबंधित कंपनी को पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजने के बाद अस्वीकार कर सकता है।

स्पष्टीकरण.- यदि (i) मूल भौतिक शेयर प्रमाण-पत्र या मूल बंध-पत्र या जमा या ऋण-पत्र प्रमाण-पत्र या पात्रता के प्रमाण खो जाते हैं, तो कंपनी और दावेदार, कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, दिशानिर्देश, प्रक्रियाएँ और समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और इन नियमों की अनुसूची III में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे और उक्त नियमों के दिशानिर्देश तहत आवश्यक सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ई-सत्यापन रिपोर्ट के साथ संलग्न करें; (ii) इसके अतिरिक्त, कंपनी ई-सत्यापन रिपोर्ट के साथ इन नियमों के नियम 6 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के अंतर्गत तैयार किए गए शेयर प्रमाण-पत्र के दोनों ओर की स्कैन की हुई प्रति संलग्न करेगी; (iii) कंपनी अकेले ही मूल भौतिक शेयर प्रमाण-पत्र या मूल बंध-पत्र या जमा या ऋण-पत्र, प्रमाण-पत्र या दावेदार से पात्रता का प्रमाण संग्रह करने के लिए और उसके किसी भी दुरुपयोग के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(5) जहां प्राधिकरण, दावे के लिए किसी आवेदन की जांच करने पर, आगे की जानकारी के लिए पूछताछ करना आवश्यक समझता है या ऐसा आवेदन या ई-फॉर्म या दस्तावेज किसी भी तरह से दोषपूर्ण या अपूर्ण पाता है, प्राधिकरण, दावेदार और कंपनी के ई-मेल पते पर ई-मेल द्वारा, जिसने ऐसा आवेदन या ई-प्रपत्र या दस्तावेज़ दाखिल किया है, ऐसी जानकारी की सूचना देगा, या ऐसे दोष या अपूर्णता के लिए, उसे ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने या ऐसे दोष या अपूर्णता को सुधारने या इस तरह के संप्रेषण की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर इस तरह के आवेदन या ई-प्रपत्र या दस्तावेज को फिर से जमा करने का निदेश देगा, जिसमें विफल होने पर प्राधिकरण दावे या ई-प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 को अस्वीकार कर सकता है:

बशर्ते कि यदि दावेदार से ऐसी जानकारी या अपूर्णता के लिए कहा जाता है, तो वह ई-प्रपत्र फाइल करेगा और मांगे गए दस्तावेजों को पंद्रह दिनों के भीतर उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को उसके पंजीकृत कार्यालय में दावे के सत्यापन के लिए भेजेगा और कंपनी एक संशोधित सत्यापन रिपोर्ट भेजेगी:

इसके अलावा, बशर्ते कि यदि कंपनी से ऐसी कोई जानकारी या अपूर्णता पूछी जाती है, तो कंपनी संशोधित सत्यापन रिपोर्ट दाखिल करेगी और तीस दिनों के भीतर ऐसे दस्तावेज भेज देगी, जो मांगे गए हैं:
यदि, दावेदार पंजीकृत शेयरधारक का कानूनी उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी या प्रशासक या नामांकित व्यक्ति है, तो दावेदार प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 के साथ अनुसूची II में दिए गए नियमों की सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करेगा:

भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों की हानि नुकसान के मामले में, उसे प्रपत्र संख्या आईईपीएफ-5 के साथ इन नियमों की अनुसूची III में दिए गए अतिरिक्त दस्तावेजों की स्व-सत्यापित स्कैन की हुई प्रति ऑनलाइन जमा करना सुनिश्चित करना होगा:

बशर्ते कि इसके अलावा, दावेदार अपने द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इन सभी दस्तावेजों को मूल रूप से संबंधित कंपनी के नोडल अधिकारी को उसके पंजीकृत कार्यालय में दावे के सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि दावेदार किसी अन्य पंजीकृत प्रतिभूति का कानूनी उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी या प्रशासक या नामिती है या ऐसे मामलों में, जहां कंपनी द्वारा प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण के बाद शेयरों के हस्तांतरण या संचरण का अनुरोध प्राप्त होता है, तो कंपनी हस्तांतरण या संचरण को दर्ज करने के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेजों को सत्यापित करेगी और दावेदार को उक्त प्रतिभूति के लिए उसकी पात्रता दर्शाते हुए पत्र जारी करेगी और उसकी एक प्रति प्राधिकरण को उसकी ई-सत्यापन रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे दावेदार के दावे का सत्यापन करते समय प्रस्तुत करेगी:

बशर्ते कि, प्राधिकरण ऐसे अनुरोध के सत्यापन के अधीन कंपनी की ई-सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर अंतरण या संचरण के ऐसे अनुरोध का निपटान करेगा।

दावेदार द्वारा किसी भी कपटपूर्ण दावे को अधिनियम की धारा 447 के अर्थाधीन धोखाधड़ी माना जाएगा और दावेदार तदनुसार उत्तरदायी होगा।

यदि कोई व्यक्ति धोखे से इस अधिनियम के अनुसरण में जारी किए गए किसी प्रतिभूति या किसी शेयर वारंट या कूपन के स्वामी होने का अभिनय करता है और इस प्रकार विधिपूर्ण स्वामी को देय किसी ऐसी प्रतिभूति या ब्याज या ऐसे किसी वारंट या कूपन को प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए कोई दावा दायर करता है, वह अधिनियम की धारा 57, 447 और 448 के तहत दंडनीय होगा।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से शेयरों और लाभांश राशि का दावा करने की प्रक्रिया:

1) आवेदक को किसी भी डिपाजिटरी के साथ एक डीमैट खाता खोलना आवश्यक है क्योंकि शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा दावेदारों के पक्ष में केवल दावेदार के डीमैट खाते में जारी किए जाएंगे। (अगर पहले से ही खोला गया है तो ध्यान न दें)
2) आईईपीएफ की वेबसाइट (http://www.iepf.gov.in) से प्रपत्र आईईपीएफ-5 डाउनलोड करें। प्रपत्र भरने से पूर्व ई-प्रपत्र के साथ वेबसाइट/निर्देश किट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

3) आवश्यक फ़ील्ड भरें और प्रपत्र भरने के बाद, इसे अपने कंप्यूटर पर सेव करें और वेबसाइट पर अपलोड लिंक में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए विधिवत भरे हुए फॉर्म को जमा करें।

4) एमसीए पोर्टल पर प्रपत्र सफलतापूर्वक अपलोड करने पर, एसआरएन दर्शाते हुए एक पावती निकलेगी। भविष्य में प्रपत्र की जानकारी के लिए कृपया एसआरएन नोट कर लें।

5) विधिवत भरे हुए आईईपीएफ-5 और प्रपत्र अपलोड करने के बाद जारी की गई पावती का प्रिंटआउट लें।

6) प्रपत्र अपलोड करने के बाद अपनाए जाने वाले कदम:

उपयोगकर्ता को दावे के लिए सत्यापन शुरू करने के लिए "आईईपीएफ प्राधिकरण से प्रतिदाय के लिए दावा" चिह्नित करते हुए एक लिफाफे में कंपनी के नोडल अधिकारी (आईईपीएफ) को अपने पंजीकृत कार्यालय में नीचे निर्धारित संलग्नक भेजने होंगे

क. विधिवत भरे और अपलोड किए गए दावा प्रपत्र आईईपीएफ-5 का प्रिंट आउट; दावेदार के हस्ताक्षर के साथ और यदि संयुक्त धारक शामिल हैं, तो प्रपत्र पर सभी संयुक्त धारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए

ख. दावा प्रपत्र आईईपीएफ-5 अपलोड करने के बाद जारी हुई पावती की प्रति

ग. दावेदार के हस्ताक्षर के साथ क्षतिपूर्ति बंध-पत्र (मूल) (हेल्प किट के तहत आईईपीएफ प्रपत्र-5 के अनुबंध II में दिए गए प्रारूप के अनुसार) निष्पादित किया जाना है:

- स्टाम्प अधिनियम के तहत निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पत्र पर **(राज्य के अनुसार),** यदि दावे की राशि 10,000 रुपए या अधिक है। **कृपया दावेदार और गवाह की तिथि, स्थान और हस्ताक्षर दर्ज करना सुनिश्चित करें।**
- सादे कागज पर, यदि दावा की गई राशि 10,000 रुपए से अधिक नहीं है।
- शेयरों के प्रतिदाय के मामले में, स्टाम्प अधिनियम के तहत यथा निर्धारित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर।

घ. दावेदार और दो गवाहों के हस्ताक्षर वाली अग्रिम मुहर लगी रसीद (मूल)। (हेल्प किट के तहत आईईपीएफ प्रपत्र-5 के अनुबंध I में प्रारूप दिया गया है)

ङ. परिपक्व जमा या परिपक्व ऋण-पत्र, या बंध-पत्र की वसूली के मामले में, या जहां शेयरों का (भौतिक रूप में) दावा किया जाता है, उसके मूल प्रमाण-पत्र

च. दावेदार के आधार कार्ड की प्रति और यदि संयुक्त धारक हैं, तो सभी संयुक्त धारकों के आधार कार्ड की प्रति

छ. हकदारी का प्रमाण (शेयर/ब्याज वारंट/लाभांश वारंट, आवेदन संख्या इत्यादि का प्रमाण पत्र)

ज. मूल रद्द चेक

झ. विदेशियों और एनआरआई के मामले में पासपोर्ट, ओसीआई और पीआईओ कार्ड की प्रति

ञ. पैन कार्ड की प्रति (शेयरों के दावे के मामले में अनिवार्य है)

ट. दावेदार के डी-मैट खाते की ग्राहक मास्टर सूची

ठ. यदि किसी संयुक्त धारक की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

ड. अनुसूची II और अनुसूची III के तहत यथा आवश्यक परिस्थितियों की मांग के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ इसके साथ संलग्न करें।

दस्तावेजों को श्री वीरेंद्र कुमार जैन, कंपनी सचिव, कंपनी के निगम कार्यालय में कंपनी के नोडल अधिकारी को **"आईईपीएफ प्राधिकरण से प्रतिदाय के लिए दावा"** के चिन्हित लिफाफे में भेजा जाना आवश्यक है।

निगम कार्यालय का पता है:

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
कोर 8, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष.: 011-24360249, ईमेल: vkjain@itdc.co.in
Website: www.itdc.co.in

आरटीए का पता है
केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड

सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना - 500032
ईमेल- einward.ris@kfintech.com, ravuri.vijay@kfintech.com
दूरभाष.: 91406716518, टोल फ्री: 1800-345-4001

अनुसूची II

प्रतिभूतियों के संचरण को पंजीकृत करने के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

क. भौतिक रूप से धारित प्रतिभूतियों के लिए दस्तावेजी आवश्यकता

1. जहां शेयर नामांकन सहित अकेले धारित हैं:

1.1 नामांकित व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संचरण अनुरोध प्रपत्र।

1.2 मूल अथवा विधिवत सत्यापित मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति।

1.3 पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।

1.4 मूल शेयर प्रमाण-पत्र (पत्रों)।

1.5 नामांकित व्यक्ति का कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र।

2. जहां शेयर बिना नामांकन के अकेले धारित हैं, पैरा 1 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

2.1 उचित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर किए गए सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से हलफनामा-पहचान और प्रतिभूतियों के कानूनी स्वामित्व के दावे के लिए:

बशर्ते कि, यदि कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) या दावेदार (दावेदारों) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण पत्र या प्रशासन पत्र में दिया गया है, तो ऐसे कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) या दावेदार (दावेदारों) से एक हलफनामा ही पर्याप्त होगा।

2.2 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए मात्र) तक की प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए जारीकर्ता कंपनी आवेदन की तिथि तक, निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक या अधिक:

(क) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र या अदालती आज्ञप्ति, जैसाकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो सकता है।

(ख) उपर्युक्त (क) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में,

(i) मृतक धारक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित सभी कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) से इस तरह के संचरण (या) विधिवत नोटरीकृत परिवार निपटान विलेख की प्रति पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र, और

(ii) उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बांड - एसटीए या जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति के संबंध में।

2.3 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए आवेदन की तिथि को: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र या अदालती डिक्री के संदर्भ में यथा लागू।

3. जहां शेयर नामांकन सहित संयुक्त रूप से धारित हैं:

3.1 नामांकित व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संचरण अनुरोध प्रपत्र।

3.2 सभी संयुक्त धारकों के विधिवत रूप से सत्यापित मृत्यु प्रमाण-पत्र (पत्रों) की मूल या प्रति

3.3 पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।

3.4 मूल शेयर प्रमाण-पत्र।

3.5 नामांकित व्यक्ति का कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र।

4. जहां शेयर बिना नामांकन के संयुक्त रूप से धारित हैं, पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त, निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

4.1 उचित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर किए गए सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से हलफनामा - पहचान और प्रतिभूतियों के कानूनी स्वामित्व के दावे के प्रभाव के लिए:

बशर्ते कि यदि कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) या दावेदार (दावेदारों) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र में दिया गया है, तो ऐसे कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) या दावेदार (दावेदारों) से एक हलफनामा ही पर्याप्त होगा।

4.2 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए मात्र) तक की प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए जारीकर्ता कंपनी आवेदन की तिथि के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक या अधिक:

(क) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र या अदालती आज्ञप्ति, जैसाकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो सकता है।

(ख) उपर्युक्त (क) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में,

(i) मृतक धारक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित सभी कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) से इस तरह के संचरण (या) विधिवत नोटरीकृत परिवार निपटान विलेख की प्रति पर होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

और

(ii) उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बांड - एसटीए या जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति के संबंध में।

4.3 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए आवेदन की तिथि को: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र या अदालती डिक्री के संदर्भ में यथा लागू।

ख. डीमैट रूप से धारित प्रतिभूतियों के लिए दस्तावेजी आवश्यकता

1. जहां शेयर नामांकन सहित अकेले धारित हैं:

1.1 नामांकित व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संचरण अनुरोध प्रपत्र।

1.2 मूल अथवा विधिवत सत्यापित मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति।

1.3 पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।

1.4 मूल शेयर प्रमाण-पत्र (पत्रों)।

1.5 नामांकित व्यक्ति का कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र।

2. जहां शेयर बिना नामांकन के अकेले धारित हैं, पैरा 1 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

2.1 उचित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर किए गए सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से हलफनामा- पहचान और प्रतिभूतियों के कानूनी स्वामित्व के दावे के लिए:

बशर्ते कि, यदि कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) या दावेदार (दावेदारों) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण- पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र में दिया गया है, तो ऐसे कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) या दावेदार (दावेदारों) से एक हलफनामा ही पर्याप्त होगा।

2.2 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए मात्र) तक की प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए जारीकर्ता कंपनी आवेदन की तिथि तक, निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक या अधिक:

(क) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र या अदालती आज्ञप्ति, जैसाकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो सकता है।

(ख) उपर्युक्त (क) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में,

(i) मृतक धारक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित सभी कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) से इस तरह के संचरण (या) विधिवत नोटरीकृत परिवार निपटान विलेख की प्रति पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र, और

(ii) उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बांड - एसटीए या जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति के संबंध में।

2.3 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए आवेदन की तिथि को: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र या अदालती डिक्री के संदर्भ में यथा लागू।

3. जहां शेयर नामांकन सहित संयुक्त रूप से धारित हैं:

3.1 नामांकित व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संचरण अनुरोध प्रपत्र।

3.2 सभी संयुक्त धारकों के विधिवत रूप से सत्यापित मृत्यु प्रमाण-पत्र (पत्रों) की मूल या प्रति

3.3 पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।

3.4 मूल शेयर प्रमाण-पत्र।

3.5 नामांकित व्यक्ति का कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र।

4. जहां शेयर बिना नामांकन के संयुक्त रूप से धारित हैं, पैराग्राफ 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अतिरिक्त, निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

4.1 उचित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर किए गए सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से हलफनामा - पहचान और प्रतिभूतियों के कानूनी स्वामित्व के दावे के प्रभाव के लिए:

बशर्ते कि यदि कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) या दावेदार (दावेदारों) का नाम उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र में दिया गया है, तो ऐसे कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) या दावेदार (दावेदारों) से एक हलफनामा ही पर्याप्त होगा।

4.2 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए मात्र) तक की प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए जारीकर्ता कंपनी आवेदन की तिथि के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक या अधिक:

(क) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र या अदालती आज्ञप्ति, जैसाकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के संदर्भ में लागू हो सकता है।

(ख) उपर्युक्त (क) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में,

(i) मृतक धारक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्पादित सभी कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) से इस तरह के संचरण (या) विधिवत नोटरीकृत परिवार निपटान विलेख की प्रति पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

और

(ii) उपयुक्त गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बनाया गया क्षतिपूर्ति बांड - एसटीए या जारीकर्ता कंपनी की क्षतिपूर्ति के संबंध में।

1.3 2,00,000 रुपए (दो लाख रुपए मात्र) से अधिक प्रतिभूतियों के मूल्य के लिए आवेदन की तिथि को: भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या वसीयत प्रमाण-पत्र या प्रशासन पत्र या अदालती डिक्री के संदर्भ में यथा लागू।

अनुसूची III

भौतिक रूप से धारित प्रतिभूतियों की हानि के मामले में प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज।

1. प्राथमिकी/पुलिस शिकायत की नोटरीकृत प्रति, जिसमें प्रतिभूति धारक की जानकारी, धारित का विवरण, फोलियो संख्या और शेयर प्रमाण-पत्र की विशिष्ट संख्या शामिल हो।
2. नोटरी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित पैन कार्ड पहचान प्रमाण के साथ निष्पादन की तारीख के अनुसार शेयरों के बाजार मूल्य के बराबर मूल्य का ज़मानत शपथ-पत्र।
3. प्रतिभूति धारक द्वारा अपेक्षित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर उस व्यक्ति को सार्वजनिक नोटरी द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया, कि जिसके नाम पर मूल शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है कि उसने शामिल शेयरों को बेचा/निपटारा नहीं किया है या किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई की है। जिससे तीसरे पक्ष का कोई हित सृजित होता है।
4. यदि शेयरों का बाजार मूल्य 10,000 रुपए से अधिक है, तो देश भर में प्रसारित किए जाने वाले कम से कम एक अंग्रेजी भाषा के राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र में जारी और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय - स्थान पर एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति।